



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 142]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

## पर्यावरण एवं बन भवालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.पि. 221(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में,—
  - (i) विद्यमान क्रम संख्या 26, “प्राकृतिक रबड़ उद्योग” और क्रम संख्या 58, “प्राकृतिक रबड़ प्रसंस्करण उद्योग” और इनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जायेगा; और
  - (ii) विद्यमान क्रम संख्या 13 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"13	रबड़ प्रसंस्करण एवं रबड़ उत्पाद उद्योग		क. बहिकाव मानक
		(i) प्राकृतिक रबड़ प्रसंस्करण : सेन्ट्रीफ्यूजिंग एवं क्रीमिंग इकाइयां सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर में, pH को छोड़कर	
			अंतः स्थलीय सतही जल सिंचाई हेतु भूमि/सार्वजनिक सीधर
	pH		6.0-8.5
	निलंबित कण		100
	B.O.D., 3 दिन, 27° सेंटीग्रेड		30
			100

(3)	(4)	
C.O.D.	250	—
तेल एवं ग्रीस	10	10
कुल जलडाल नाईट्रोजन यथा N	100	*
मुक्त अमोनिया	5	*
अमोनिकल नाईट्रोजन यथा N	50	*
सल्फाइड्स हेतु यथा S	2	*
<b>कुल ठोस घुलित कण</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

## (ii) प्राकृतिक रबड़ प्रसंस्करण : क्रैप्स एवं क्रम्ब इकाइयाँ

pH	6.0-8.5	6.0-8.5
निलंबित कण	100	*
रंग	रंगहीन	*
गंध	अविद्यमान	*
B.O.D., 3 दिन, 27° सेंटीग्रेड	30	100
C.O.D.	250	*
तेल एवं ग्रीस	10	10
कुल जलडाल नाईट्रोजन यथा N	50	*
अमोनिकल नाईट्रोजन यथा N	25	*
सल्फाइड्स हेतु यथा S	2	*
<b>कुल ठोस घुलित कण</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

## (iii) रबड़ उत्पाद (मोर्लडेड, एक्सटर्लडेड अथवा कैलेन्डर्ड/फैबरीकेटेड/रबड़ रिक्लेमेशन इकाई/लेटेक्स आधारित इकाई)

pH	6.0-8.5	6.0-8.5
निलंबित कण	50	100
तेल एवं ग्रीस	10	10
B.O.D., 3 दिन, 27° सेंटीग्रेड	50	*
सीसा	0.1	*
जस्ता यथा Zn	5	*
<b>कुल क्रोमियम</b>	<b>0.05</b>	<b>*</b>

## (iv) टायर और दूध उच्चोग

pH	6.0-8.5	6.0-8.5
निलंबित कण	50	*
तेल एवं ग्रीस	10	10

(3)	(4)
(v) सेशलेषित रबड़ उद्योग	
pH	6.0-8.5
रंग	अविद्यमान *
गंध	अविद्यमान *
B.O.D., 3 दिन, 27° सेंटीग्रेड	50 *
C.O.D.	250 *
तेल एवं ग्रीस	10 10

\* इन पैरामीटरों के मापदण्ड संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा मामले की स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

ख. उत्सर्जन मानक+ (रबड़ उत्पाद उद्योग अर्थात् मोल्डेड, एक्सरूडेड अथवा कैलेन्डर/फैब्रीकेटेड/रबड़ रिक्लेमेशन इकाई/लेटेक्स आधारित इकाई)

सान्द्रण सीमा (मि.ग्रा./नार्मल घन मीटर)

विविक्त कण	150
वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक (VOC)	50

+ये उत्सर्जन मानक लघु स्तर की इकाईयों पर लागू नहीं होंगे।

टिप्पणि :

सभी रबड़ इकाईयों को अपने आशुलोपी उत्सर्जन को चिमनी जिसकी ऊंचाई 12 मीटर या शैड/भवन की छत के 2 मीटर ऊपर की जो भी अधिक हो, के माध्यम से उत्सर्जित करना होगा॥।

(iii) अनुसूची 6 में, भार आधारित मानकों के भाग-ग, में क्रम संख्या 2 और इससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“3. प्राकृतिक रबड़ प्रसंस्करण एवं रबड़ उत्पाद उद्योग : सेन्ट्रिफ्यूजिंग एवं क्रीमिंग इकाईयां, क्रैप्स एवं क्रम इकाईयां

पैरामीटर	मानक : मात्रा सीमा कि.ग्रा./100 घन तैयार उत्पाद
(1)	(2)
तेल और ग्रीस	1.5
B.O.D., 3 दिन, 27° सेंटीग्रेड	200
निलंबित कण	200
कुल क्रोमियम	0.10
सीसा	0.15.”

(iv) अनुसूची 6 में, अपशिष्ट जल उत्पादन मानकों – भाग-ख, में क्रम संख्या 11 के पश्चात् और इससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“12. प्राकृतिक रबड़ प्रसंस्करण एवं रबड़ उद्योग : सेन्ट्रिफ्यूजिंग एवं क्रीमिंग इकाईयां, एवं क्रैप्स व क्रम इकाईयां

- सेन्ट्रिफ्यूजिंग इकाईयों में; 5 घन मीटर/ठन उत्पाद।
- क्रीमिंग इकाईयों में; 8 घन मीटर/ठन उत्पाद।
- क्रैप्स एवं इकाईयों में; 40 घन मीटर/ठन उत्पाद।”।

[फ. सं क्यू-15017/20/2008-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दूबे, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और पश्चात् वर्ती संशोधन सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010; सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010 और सा.का.नि. (अ), तारीख 15 मार्च, 2011 के द्वारा किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2011

**G.S.R. 221(E).**—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in schedule I,—

(i) in existing serial number 26, relating to 'Natural Rubber Industry' and in serial number 58, relating to 'Natural Rubber Processing Industry' and entries relating thereto shall be deleted,

(ii) in existing serial number 13, for the existing entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"13.	Rubber Processing and Rubber Product Industry		<b>A. Effluent Standards</b>	
		(i) Natural Rubber Processing : Centrifuging and Creaming Units	Limiting value for concentration in mg/l, except for pH	
			Inland Surface Water	Land for Irrigation/ Public Sewer
	pH	6.0–8.5	6.0–8.5	
	Suspended Solids	100	200	
	BOD, 3 days at 27° C	30	100	
	COD	250	—	
	Oil & Grease	10	10	
	Total Kjeldahl Nitrogen, as N	100	*	
	Free Ammonia	5	*	
	Ammonical Nitrogen, as N	50	*	
	Sulphides, as S	2	*	
	<b>Total Dissolved Solids</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	
	(ii) Natural Rubber Processing : Craps and Crumb Units			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pH	6.0–8.5	6.0–8.5	
	Suspended Solids	100	*	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Colour		Colourless	*	
Odour		Absent	*	
BOD, 3 days at 27° C		30	100	
COD		250	*	
Oil & Grease		10	10	
Total Kjeldahl Nitrogen, as N		50	*	
Ammonical Nitrogen, as N		25	*	
Sulphides, as S		2	*	
<b>Total Dissolved Solids</b>		<b>2100</b>	<b>2100</b>	
<b>(iii) Rubber Products (Moulded, Extruded or Calendared/Fabricated/Rubber Reclamation Unit Latex based Unit)</b>				
pH		6.0-8.5	6.0-8.5	
Suspended Solids		50	100	
Oil & Grease		10	10	
BOD, 3 days at 27° C		50	*	
Lead*		0.1	*	
Zinc as Zn*		5	*	
<b>Total Chromium</b>		<b>0-05</b>	*	
<b>(iv) Tyre and Tube Industry</b>				
pH		6.0-8.5	6.0-8.5	
Suspended Solids		50	*	
Oil & Grease		10	10	
<b>(v) Synthetic Rubber Industry</b>				
pH		6.0-8.5	6.0-8.5	
Colour		Absent	*	
Odour		Absent	*	
BOD, 3 days at 27° C		50	*	
COD		250	*	
Oil & Grease		10	10	
*Norms for these parameters shall be prescribed by the concerned State Pollution Control Board/Pollution Control Committee on case to case basis.				
<b>B. Emission Standards* (Rubber Product Industry i.e. Moulded, Extruded or Calendared/Fabricated/Rubber Reclamation Unit/Latex based Unit)</b>				
Concentration not to exceed in mg/Nm <sup>3</sup>				
Particulate matter		150		
Volatile Organic Compounds		50		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

\*These emission standards shall not be applicable to SSI units.

**NOTE:**

All rubber units shall channelize their fugitive emission through a stack having height of 12 metres or 2 metres above roof top of shed/building whichever is more.”.

- (iii) in Schedule VI, in Load Based Standards Part ‘C’ after serial number 2 and existing entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—  
 “3. Natural Rubber Processing and Rubber Product Industry : Centrifuging and Creaming Units, Craps and Crumb Units.

Parameter	Standards : Quantum limit in kg/100 tonne of finished Products
(1)	(2)
Oil & Grease	1.5
BOD, 3 days at 27° C	200
Suspended Solids	200
Total Chromium	0.10
Lead	0.15.”.

- (iv) in Schedule VI, in Waste Water Generation Standards-Part-B, after serial number 11 and existing entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—  
 “12. Natural Rubber Processing Industry : Centrifuging and Creaming Units and Craps and Crumb Units  
 — 5 m<sup>3</sup>/tonne of product in Centrifuging units;  
 — 8 m<sup>3</sup>/tonne of product in Creaming units; and  
 — 40 m<sup>3</sup>/tonne of product in Craps and Crumb units.”.

[F. No. Q-15017/20/2008-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986; subsequently amended *vide* S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61(E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485(E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608(E), dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; and G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010; and G.S.R. (E), dated the 15th March, 2011.